संख्या- 36/2019/682/12-5-2019-सा०-12/2018टीसी

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 10 जून, 2019**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण, 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अ०कृ०नि०(सा०)शि०/61/पीएमकेएसवाई/ लेखा/सामान्य /2019-20, दिनांक 23.05.2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण,06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.)के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 1608.13 लाख एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 1.50 लाख अर्थात कुल रू० 1609.63 लाख (रू०सोलह करोड़ नौ लाख तिरसठ हजार मात्र)की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

4- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। एक मद से दूसरे मद में धनराशि का व्यावर्तन नही किया जायेगा । व्यय के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण माहवार/जनपदवार निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपदों को धनराशि आवंटित करने के पूर्व वित्त नियंत्रक से सहमति प्राप्त कर ली जाए।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप पी0एम0के0एस0 वाई0 हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार किये जाने का दायित्व आपका होगा । प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिनांक 21.05.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

6- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलबध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाये ।

7- योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हे दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये ।

8- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए। जायेगा। प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा ।

9- वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा । केन्द्रांश की उपलब्धता एवं द्विरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण,06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.)के मानक मद 27-सब्सिडी एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-36/2019/682(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय -(सिविल/ आडिट) , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, क़षि भवन, नई दिल्ली ।
5. संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशाालय, लखनऊ।
8. अपर कृषि निदेशक (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि निदेशालय, लखनऊ।
9. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
10. विषय वस्तु विशेषज्ञ, शस्य एवं वानिकी, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मंजू लता सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।